फर्द अहकाम

दामोदर व अन्य बनाम गोविन्दनारायण व

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर

केस संख्या 24 / मुख्यालय-जयपुर (प्रा.पत्र टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी-2 मय अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थी-2 की ओर से न्यायालय समय समाप्ति तक उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस प्रा० पत्र टी.आई. सुने जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र टी.आई. पर सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीगण की ओर से वाके ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित स्वयं की खातेदारी की भूमि अराजी खसरा नं. 124 लगायत 129, 133, 135 कुल खसरा किता-8 कुल रकबा 3.8380 हे. के सन्दर्भ में बाई मीट्स एंड बाउण्ड्स विधिक विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। जो लम्बित है। जिसके अन्तर्गत प्रार्थीगण (वादीगण) का 1/4-1/4 हिस्सा [कुल 1/2 हिस्सा] दर्ज निहित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त उल्लेखित भूमि के विधिक विभाजन हेतु प्रस्तुत वादपत्र एवं उल्लेखित भूमि के विधिक विभाजन होने तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने हेतु प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र टी.आई. के सन्दर्भ में किसी प्रकार की उज्र आपत्ति अथवा जवाब हेतु अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किए गए। नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी अप्रार्थी-2 के अतिरिक्त अन्य किसी भी अप्रार्थी की ओर से न्यायालय हाजा में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी.आई. का किसी भी स्तर पर व किसी भी रूप में कोई मान्य/औपचारिक खंडन अथवा भूमि के विधिक विभाजन व विधिक विभाजन होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने बाबत किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है/ तथा प्रकरण में उपस्थित अप्रार्थी [illegible]

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

दामोदर व अन्य बनाम गोविन्दनारायण व अन्य

संख्या / वर्ष (प्रा.पत्र टी.आई.) 24 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/11/24	द्वारा भी उपस्थिति दिनांक 24.06.24 के क्रम में अधिकतम समयावधि (लगभग 5 माह) व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी.आई. का कोई समुचित/औपचारिक खंडन अथवा कोई आपत्ति भी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रार्थनापत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक उल्लेखित वाद अधीन आ.ख.नं. 124 लगायत 129, 133, 135 कुल खसरा किता 8 कुल रकबा 3.8380 हे. की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत पाबन्द फरमाया जावे। हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. पर सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण की ओर से स्वयं की अभिलिखित खातेदारी की भूमि के विधिक विभाजन के संदर्भ में मूलवाद प्रस्तुत किया गया है। जो लम्बित है। साथ ही भूमि के विधिक विभाजन तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु हस्तगत प्रार्थनापत्र टी.आई. प्रस्तुत किया गया है, जिसके क्रम/संदर्भ में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 21.05.24 को पारित किया गया है। जिसके क्रम/संदर्भ में कोई उज्र आपत्ति अथवा कोई समुचित/औपचारिक खंडन व जवाब [illegible] अप्रार्थी-2 द्वारा आज [illegible] प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा [illegible] प्रार्थीगण द्वारा बावजूद विधिवत प्राप्ति [illegible] अधिकारी के न्यायालय हाजा में [illegible] प्रस्तुत नहीं की गई है। जिसके	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 16:55:57 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय ~~सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर~~
मुख्यालय-जयपुर

दामोदर व अन्य बनाम गोविन्द नारायण, राजस्थान

मुकदमा संख्या/वर्ष (पं.पा टी.आई.) 24/2024

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/11/24	उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश पूर्व में पारित किए जा चुके है। अतः चूंकि प्रकरण में किसी भी अप्रार्थी पक्षकार द्वारा किसी भी मान्य स्तर पर वादपत्र व प्रार्थना पत्र टी.आई. का कोई समुचित / औपचारिक खंडन अथवा किसी भी प्रकार की कोई अन्य आपत्ति अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः न्यायहित व वाद बहुलता के दृष्टिगत पूर्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 21.05.24 को तायफैसला मूलवाद स्थाई किया जाकर उभय पक्षकारान को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 124 लगायत 129, 133, 135 कुल खसरा किता 8 कुल रकबा 3.8380 की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। विरासत नामांतकरण के संदर्भ में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक ~~कलक्टर~~ (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:55:57 IST
Reason: SelfAttested